(114)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 636–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–16 पारित द्वारा कलेक्टर जिला गुना प्रकरण कमांक 04/स्व.निग./2016–17.

श्रीमती बानोबी पत्नी ताहिर अली
पुत्री हैदर अली निवासी ग्राम गनेशपुरा
तहसील व जिला गुना .....आवेदिका

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर, जिला गुना
2– हरिसिंह यादव पुत्र भरतसिंह यादव
निवासी ग्राम गनेशपुरा
तहसील व जिला गुना .....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री आर.पी. पालीवाल, अभिभाषक, अनावेदक क. 1
श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा कलेक्टर, जिला गुना के समक्ष आवेदिका के विरूद्ध इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई कि आवेदिका द्वारा ग्राम गनेशपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 10/176 मिन रकबा 9.131 हेक्टेयर में से रकबा 2.000 हेक्टेयर का फर्जी पट्टा वर्ष 1984 से प्राप्त कर प्रकरण कमांक 339/बी–121/2006–07 आदेश दिनांक 20–12–2007 से राजस्व अभिलेखों में अमल करा लिया गया है । अतः प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर पट्टा निरस्त किया जाये । कलेक्टर द्वारा शिकायत की जांच

कर, जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से तहसीलदार गुना से चाहा गया । नायब तहसीलदार गुना द्वारा प्रकरण दर्ज कर जांच उपरांत दिनांक 2–6–16 को जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी गुना को भेजा गया और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिये जाने का लेख करते हुए प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया गया । कलेक्टर द्वारा दिनांक 31–12–16 को प्रकरण कमांक 04/स्व.निग./2016–17 दर्ज कर अनावेदिका को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा पूर्व में विधिवत प्रकिया का पालन करते हुए भूमि का व्यवस्थापन आवेदिका के पक्ष में किया गया था । ऐसी स्थिति में प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेना नितान्त अवैध एवं अनुचित कार्यवाही है ।

(2) तहसीलदार द्वारा दिनांक 22–6–1984 को पारित आदेश अपीलीय आदेश है, जिसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, किन्तु अपील प्रस्तुत नही की गई है, अतः प्रकरण को स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता है ।

(3) आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौखिक आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि वर्तमान स्वमेव निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें परिसीमा के प्रावधानों पर कोई विचार नहीं किया गया है, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है ।

(4) अनावेदक कमांक 2 को वर्तमान प्रकरण में पुनरीक्षण प्रस्तुत करने का कोई वैधानिक अधिकार ही नहीं है और पक्षकार के आवेदन पत्र पर प्रस्तुत स्वप्रेरणा पुनरीक्षण आवेदन पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पंजीबद्ध करने का अधिकार नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं पारित आदेश एवं कार्यवाही अधिकारिता रहित होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

(5) कलेक्टर द्वारा अधीनस्थ प्राधिकारियों की एकपक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया गया है, जबकि एकपक्षीय प्रतिवेदन साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है ।

अतः ऐसे अग्राह्य प्रतिवेदन के आधार पर की जा रही कार्यवाही एवं पारित आदेश नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

(6) स्वमेव निगरानी शक्तियों का प्रयोग के लिए परिसीमा जानकारी का दिनांक नहीं दर्शाया, ऐसी शक्तियां 180 दिवस से बाहर प्रयुक्त नहीं की जा सकती ।

तर्कों के समर्थन में 1979 आर.एन. 561 (पूर्ण न्यायपीठ), 1980 आर.एन. 130, 1985 आर. एन. 235, 1972 आर.एन. 476 (उच्च न्या.), 1992 आर.एन. 289 (उच्च न्या.) 2007 आर.एन. 334 (उच्च न्या.), 2005 आर.एन. 363, 2010 आर.एन. 409, जे.एल.जे. 77 (उच्च न्या.) एवं 2014 आर.एन. 168 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक शासन 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का फर्जी तरीके से पट्टा प्राप्त किया गया है, क्योंकि भूमि बंटन हेतु जारी विज्ञप्ति एवं आदेश में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर में भिन्नता है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा जांच में यह पाया गया है कि आवेदिका को भूमिहीन मानकर पट्टा दिया गया है, जबकि आवेदिका का विवाह ताहिर अली के साथ पट्टा प्राप्ति से पूर्व ही हो गया था, फिर भी आवेदिका द्वारा पिता का नाम दर्ज कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि आवेदिका द्वारा फर्जी तरीके से प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा प्राप्त कर लिया गया है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा की जा रही स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही उचित है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) जिस आदेश पत्रिका से पट्टे का आदेश दिया गया है, उक्त आदेश पत्रिका का मुद्रण कार्य 30–11–90 को किया गया है, जबकि पट्टे की समस्त कार्यवाही दिनांक 22–6–1984 की आदेश पत्रिका से की गई है । अतः स्पष्ट है कि पट्टे की कार्यवाही 1984 में न की जाकर फर्जी तरीके से 1990 के पश्चात की गई है ।

(2) आवेदिका को पट्टे की पात्रता नहीं होने सम्बन्धी आपत्ति ग्राम प्रचायत द्वारा की गई थी, क्योंकि शासन की नीति के अन्तर्गत भूमिहीन व्यक्ति को ही पट्टा दिया जाता है । आवेदिका भूमिहीन नहीं है, क्योंकि आदेश दिनांक 22–6–84 द्वारा आवेदिका के पति ताहिर अली को भी सर्वे कमांक 11/13 रकबा 1.500 हेक्टेयर का पट्टा प्रदान किया गया है, फिर भी

आवेदिका द्वारा भूमि वंटन हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें अपने पति का नाम नहीं लिखकर पिता का नाम का उल्लेख करते हुए पट्टा प्राप्त किया गया है, जबकि आवेदिका का विवाह ताहिर अली के साथ हो चुका था ।

(3) यदि आवेदिका का वर्ष 1984 में पट्टा दिया गया था तो उसके द्वारा उसी समय अपने नाम का अमल शासकीय कागजात में क्यों नहीं कराया गया है । अतः स्पष्ट है कि आवेदिका के पति ताहिर अली को पट्टा प्राप्त होने के पश्चात आवेदिका द्वारा बाद में राजस्व अधिकारियों से सांठ–गांठ कर वंटन सूची में अपना नाम बढ़वाकर अमल कराया गया है, जबकि शासन की नीति के अनुसार दोनों पति–पत्नी को पट्टा नहीं दिया जा सकता है ।

(4) जिस प्रकरण कमांक 339/बी–121/2006–07 के माध्यम से आवेदिका का नाम शासकीय कागजात में इन्द्राज किया गया है, उस प्रकरण में प्रीमियम राशि जमा करने सम्बन्धी रसीद आवेदिका द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(5) वानोबी पत्नी ताहिर अली का पुत्र नजर मोहम्मद द्वारा भी पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो निरस्त किया जा चुका है, उस प्रकरण में भी ताहिर अली के नाम रसीद प्रस्तुत की गई थी, किन्तु आवेदिका द्वारा उस समय भी अपने नाम का अमल कराये जाने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । इससे स्पष्ट है कि आवेदिका एवं उसके पति तथा पुत्र का उद्देश्य शासकीय भूमि का पट्टा किसी भी प्रकार से प्राप्त करने का है ।

(6) अनावेदक कमांक 2 की शिकायत के आधार पर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है । उक्त प्रतिवेदन में भी आवेदिका द्वारा फर्जी रूप से पट्टा प्राप्त किये जाने का उल्लेख है ।

(7) कलेक्टर के समक्ष प्रकरण से सम्बन्धित एवं व्यवहार न्यायालय से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां व फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है, जिससे भी आवेदिका द्वारा फर्जी तरीके से पट्टा प्राप्त करना प्रमाणित होता है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा आवेदिका के विरूद्ध की गई शिकायत की जांच कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से तहसील न्यायालय से कराई गई है, जिसमें आवेदिका के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का बंटन संदेहास्पद होना पाते कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में दर्ज कर आवेदिका को

कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं । कलेक्टर द्वारा अभी केवल कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं और उनके द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाना है, जहां आवेदिका को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा की जा रही स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य परिलक्षित नहीं होता है । अतः आवेदिका द्वारा जो आधार इस न्यायालय में उठाये गये हैं, वह आधार कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर